I/निग०/सिंगरौली/भू.रा०/2018/0439

(314)

न्यायालय श्रीमान् सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर सकिल कोर्ट रीवा (म0प्र0)

विलोपित/विलोपित विलोपित/विलोपित

लक्ष्मण पुरी तनय बनवारी पुरी उम्र 55 वर्ष पेशा कृषि निवासी ग्राम बिलासपुर तहसील व जिला सिंगरौली (म0प्र0)

अधि० श्री मालवेन्द्र तिवारी
द्वारा पेश/27-2-18

———निगरानीकर्ता

बनाम

फुलउवा पुत्री मट्टुकलाल तेली उम्र 56 वर्ष पेशा कृषि निवासी ग्राम बिलासपुर तहसील व जिला सिंगरोली (म0प्र0)

———गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्ध न्यायालय अपर कलेक्टर सिंगरौली जिला सिंगरौली के प्रकरण कमांक 180/अपील/2016 –17 आदेश दिनांक 27.01.2018

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

प्रकरण का सूक्ष्म वर्णन निम्नानुसार हैं :–

1– यह कि निगरानीकर्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के यहॉ एक शिकायती आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि गैरनिगरानीकर्ता द्वारा आराजी नम्बर 1/2 रकवा 1.380 हे0, आराजी नम्बर 34/643 रकवा 0.550 हे0 एवं आराजी नम्बर 415 रकवा 0.070 हे0 स्थित ग्राम बिलासपुर तहसील सिंगरौली जिला सिंगरौली (म0प्र0) की भूमि पर अवैध रूप से गैरनिगरानीकर्ता का नाम निजी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ (314)

प्रकरण क्रमांक II-निग0 / 1439 / 2018 / सिंगरौली / भू–रा0 जिला सिंगरौली

लक्ष्मण पुरी / फुलउवा तेली

(1)	(2)	(3)
18.12.18	1. आवेदक की ओर से श्री अशोक विश्वकर्मा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 180 / अपील / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 27.01.18 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 12.01.19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	

070 हे0 स्थित ग्राम बिलासपुर तहसील सिंगरौली जिला सिंगरौली (म0प्र0) की भूमि पर अवैध रूप से गैरनिगरानीकर्ता का नाम निजी